न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना।

रैयती अपील वाद संख्या–05 / 2018–19

श्रीमती शांति देवी बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
08.05.2018	अपीलकर्त्ता की ओर से वकालतनामा एवं विलम्ब U/s 5 of the Limitation Act आवेदन के साथ, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर का वाद सं0 31बी / 2017–18 में दिनांक 22.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–8 के अन्तर्गत आवेदन दिया गया है। पंजीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के लिये, न्यायालय में दिनांक 26 / 05 / 2018 को रखें। 8/5/18 अपर समाहर्ता, पटना	
26.05.18	अपीलकर्ता की हाजरी पड़ी। स्व. अधिवक्ता के निधन के कारण न्यायालय कार्य स्थगित। दिनांक 19.06.18 को रखें। अपर समाहर्ता	
19.06.18	अपीलकर्ता ~~[illegible]~~ अनु। वाद में आवेदक की हाजरी पड़ी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पंजीकरण के बिन्दु पर सुना। यह अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा बकास्त भूमि रैयती अभिलेख सं0–31बी0 / 2017–18 में दिनांक–22.11.17 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी है। दिनांक–22.11.17 के आदेश की सत्यापित प्रति आवेदक के द्वारा दिनांक–03.01.18 को प्राप्त की गयी है। दिनांक–03.01.18 को आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक–08.05.18 को अर्थात् 4(चार) माह के बाद इस न्यायालय में अपील दायर की गयी। अपील विलम्ब से दायर करने का कारण अत्यावश्यक कार्य में व्यस्त रहना बताया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा विलम्ब के लिए कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है, अतः उक्त अपील को काल बाधित मानते हुए निरस्त्र किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 19/6/18 अपर समाहर्त्ता, पटना। 19/6/18 अपर समाहर्त्ता, पटना।	